बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक.......................

संख्या–V/उ0–2–02/2022–....1764..../ विभागीय संकल्प संख्या 1733 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा स्वीकृत **"मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना"** के सफल कार्यान्वयन एवं सुचारू रूप से पर्यवेक्षण हेतु मुख्यालय स्तर के मद्यनिषेध पदाधिकारियों को विभागीय आदेश संख्या 1718 दिनांक 02.04.2025 के द्वारा जिला आवंटित किया गया है।

2. मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के प्रारंभ होने की संभावित तिथि दिनांक 15.04.2025 है। उक्त के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु उक्त आदेश द्वारा आवंटित जिलों में भ्रमण कर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निम्न कार्य किया जायेगा:–

(क) योजना के अंतर्गत ताड़ के पेड़ों का सर्वेक्षण कर पेड़ों तथा पेड़ मालिकों का डाटाबेस तैयार करवाना।

(ख) योजना के अंतर्गत टैपर का सर्वेक्षण तथा टैपरों का डाटाबेस तैयार करवाना।

(ग) नीरा संवर्धन योजना के तहत टैपर की अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की कार्रवाई का अनुश्रवण।

(घ) जीविका समूह के साथ टैपर एवं ताड़ के पेड़ को सम्बद्ध करवाना।

(ड.) जीविका समूह, पेड़ मालिक, टैपर एवं अन्य संबंधित का प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का अनुश्रवण।

(च) नीरा के संग्रहण की व्यवस्था का पर्यवेक्षण।

(छ) योजना से संबंधित सभी हित धारकों के बैंक खाता का संधारण करवाना।

(ज) आवंटित जिला में नीरा संवर्धन योजना का सफल एवं सुगम क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

(झ) भ्रमण के दौरान नीरा संवर्धन योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं लेखा संधारण की व्यवस्था का अनुश्रवण।

3. संबंधित पदाधिकारी सप्ताह में कम से कम दो (2) आवंटित जिलों का अनिवार्य रूप से भ्रमण करेंगे। भ्रमण के उपरांत मुख्यालय लौटने पर सचिव महोदय के समक्ष स्थानीय भ्रमण से संबंधित फोटोग्राफ के साथ पी0पी0टी0 प्रस्तुत करेंगे।

4. दिनांक 07.04.2025 को मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रस्तावित है, अतएव इससे पूर्व सभी संबंधित पदाधिकारी अपने–अपने आवंटित दो (2) जिलों का भ्रमण कर प्रस्तुतीकरण सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– V/उ0–2–02/2022– 1764 /पटना, दिनांक – 03.04.25

प्रतिलिपि :– संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/उपायुक्त मद्यनिषेध, तिरहुत प्रमंडल–सम्प्रति प्रतिनियुक्त मुख्यालय/उपायुक्त मद्यनिषेध, ई0आई0बी, पटना/उपायुक्त मद्यनिषेध, आ0भ0/विशेष अधीक्षक मद्यनिषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– V / उ0–2–02 / 2022– / पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिविका, बिहार, पटना / सभी समाहर्त्ता / सभी उपायुक्त मद्यनिषेध / सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध / सभी अधीक्षक मद्यनिषेध को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– V / उ0–2–02 / 2022– / पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव / सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आप्त सचिव / आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (उत्पाद पक्ष) एवं विभागीय प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव